

Order Sheet [Contd]

Case No 239/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
30.06.2017	<p>आवेदक/अभियुक्त महाराजसिंह की ओर से श्री के०के० शुक्ला अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>अधीनस्थ जे०एम०एफ०सी० न्यायालय गोहद से मूल अभिलेख प्र०क० 250/17 ई०फौ० शा०पु० एण्डोरी वि० महाराजसिंह प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री के०के०शुक्ला अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० का प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि इसके अलावा अन्य कोई आवेदनपत्र इस प्रकार का किसी भी न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निराकृत किया गया है।</p> <p>आवेदनपत्र में प्रार्थना की है कि फरियादिया की असत्य रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक से कोई हथियार आदि की जप्ती भी नहीं हुई है और न ही चिकित्सीय रिपोर्ट में गनशोट इंजुरी का उल्लेख किया गया है। आवेदक अधिक समय से अभिरक्षा में है। वह अपने परिवार का कमाने वाला एक मात्र सदस्य है जिसके अधिक समय तक अभिरक्षा में रहने से परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त पर केवल आहत के साथ लात घूसों से मारपीट करने का आरोप है। आहत को गोली मारने का आरोप नहीं है। जबकि चिकित्सीय परीक्षण में आहत को कोई मुदी चोट नहीं पाई गई है। साथ ही एक्सरे रिपोर्ट में गनशॉट के कोई अवशेष नहीं पाए गए हैं। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और इसी आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>अभियोजन कथानक अनुसार प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर सहआरोपी हरीसिंह के साथ मिलकर फरियादी के घर पर पुरानी रंजिश को</p>	

लेकर जाने और उसे माँ बहन की गालियाँ देकर उसके साथ मारपीट करने का आरोप है। आरोपी के साथ गए सहआरोपी हरीसिंह द्वारा आहत विजयपाल के उपर कट्टे से फायर करने का आरोप है।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर गंभीर आरोप है। अपराध की गंभीरता एवं उपलब्ध रिकार्ड को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद
जिला- भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)